राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 106/2019

1. जगदीश सिंह पुत्र श्री माधोसिंह उम्र 72 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. किरण देवी पत्नी स्व. श्री बालूसिंह उम्र ..... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मगन सिंह पुत्र स्व. श्री बालूसिंह उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. रेखा कंवर पुत्री श्री बालूसिंह उम्र ..... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. कमलेश पुत्री स्व. श्री माधोसिंह उम्र ..... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. सुगनसिंह पुत्र श्री माधोसिंह उम्र 66 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री माधोसिंह उम्र 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी तिहाडा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. रणवीरसिंह पुत्र श्री माधोसिंह उम्र 57 वर्ष जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. ताराकंवर पुत्री श्री माधोसिंह उम्र 61 वर्ष जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. संतोष पुत्री श्री माधोसिंह उम्र 59 वर्ष जाति राजपूत निवासी तिहाडा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
11. चित्रा पुत्री श्री माधोसिंह उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
12. कोशल्या पुत्री श्री माधोसिंह उम्र 53 वर्ष जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. संतरा देवी पत्नी स्व. श्री मेघसिंह उम्र ... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
14. रामोतार सिंह पुत्र स्व. श्री मेघसिंह उम्र ..... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
15. रामचन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री मेघसिंह उम्र ..... साल जाति राजपूत निवासी तिहाडा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
16. अनिता कंवर पत्नी स्व. श्री सियाराम उम्र ..... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
17. हर्ष पुत्र स्व. श्री सियाराम उम्र ..... साल जाति राजपूत निवासी तिहाडा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

18. निशा पुत्री स्व. श्री सियाराम उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
19. सोनू पुत्री स्व. सियाराम उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
20. उम्मेद कंवर पत्नी स्व. श्री हरिकिशन उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
21. रनवीर पुत्र स्व. श्री हरिकिशन उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
22. रनपाल सिंह पुत्र स्व. श्री हरिकिशन उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
23. नीना उर्फ लाली बाई पुत्री स्व. श्री हरिकिशन उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
24. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री फुलसिंह उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
25. गोविन्दसिंह पुत्र स्व. श्री फुलसिंह उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
26. छत्रपालसिंह पुत्र स्व. श्री देवीसिंह नवीरा कानसिंह उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
27. बबली पुत्री स्व. श्री देवीसिंह नवीरा कानसिंह उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
28. ओमकंवर पत्नी स्व. श्री शिशपालसिंह उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
29. राजवीरसिंह पुत्र स्व. श्री शिशपालसिंह नवीरा कानसिंह उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
30. धर्मवीर पुत्र स्व. श्री शिशपालसिंह नवीरा कानसिंह उम्र .... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
31. लाली बाई पुत्री स्व. श्री शिशपालसिंह नवीरा कानसिंह उम्र ...... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
32. रीनूबाई पुत्री स्व. श्री शिशपालसिंह नवीरा कानसिंह उम्र ...... साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........वादीगण

<u>बनाम</u>

1. भंवरसिंह पुत्र स्व. श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. बलबीरसिंह पुत्र स्व. श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. सुमित्रा पत्नी स्व. श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. ममता पुत्री स्व. श्री नत्थूसिंह नवीरा हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

5. अनिता पुत्री स्व. श्री नत्थूसिंह नवीरा हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. गोपाल पुत्र स्व. श्री नत्थूसिंह नवीरा हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. रमेश पुत्र स्व. श्री नत्थूसिंह नवीरा हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. रघुवीरसिंह पुत्र स्व. हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. भंवर कंवर पत्नी स्व. श्री महेशदानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. ओमप्रकाशसिंह पुत्र स्व. श्री महेशदानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
11. राजकुमारसिंह पुत्र स्व. श्री महेशदानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
12. कविता पुत्री स्व. श्री महेशदानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. रतनबाई पुत्री स्व. श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
15. कस्टोडियन विभाग, भारत सरकार

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
एवं खाता विभाजन

–: निर्णय :– **दिनांक 06–10–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम तिहाड़ा तहसील खेतड़ी स्थित आराजी जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 69 के हाल खसरा नंबर 132 रकबा 0.03 है., ख.नं. 133 रकबा 0.07 है., ख.नं. 134 रकबा 0.03 है., ख.नं. 135 रकबा 0.18 है., ख.नं. 147 रकबा 0.13 है., ख.नं. 148 रकबा 0.12 है., ख.नं. 158 रकबा 0.17 है., ख.नं. 159 रकबा 0.15 है. किता 8 कुल रकबा 0.88 है. भूमि के वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 13 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जो गलत रूप से दर्ज हैं। उक्त वर्णित भूमि गत खसरा नंबर 66 मी., 64 मी., 69 मी., 74 मी., 77 मी. से हाल खसरा नंबर निर्मित हुये हैं। उक्त भूमि ठिकाना खेतड़ी बन्दोबस्त संवत् 1998 में हनुमानसिंह, फुलसिंह, कानसिंह, माधोसिंह पि0 अमीचन्द के नाम से दर्ज रिकार्ड थी तथा इसके बाद संवत् 2012 में भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम दर्ज था इसके बाद संवत् 2017 में जो जमाबन्दी [illegible] उसमें केवल हनुमानसिंह पुत्र अमीचन्दसिंह जो प्रतिवादीगण सं. 1 [illegible] उनके नाम से ही दर्ज करदी थी क्योंकि हनुमानसिंह परिवार [illegible] के कारण से उक्त भूमि स्व. हनुमानसिंह के नाम से ही दर्ज करदी गई जो संवत् 2055 से 2058 तक उन्हीं के नाम से दर्ज रही इसके बाद स्व. हनुमानसिंह का देहान्त होने के बाद संवत् 2059 के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

हनुमानसिंह के वारिशान प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 के नाम से दर्ज रिकार्ड हो गई। उक्त भूमि में वादीगण सं. 1 लगायत 12 जो माधोसिंह के वारिशान है उनका 1/4 हिस्सा, वादीगण सं. 13 लगायत 25 जो स्व. फुलसिंह के वारिशान है उनका 1/4 हिस्सा तथा वादीगण सं. 26 लगायत 32 जो कानसिंह के वारिशान है उनका 1/4 हिस्सा है तथा शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 का है और मौके पर भी इसी अनुसार अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज ही नहीं है। उक्त रिकार्ड प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 जो स्व. हनुमानसिंह के वारिशान है के ही नाम से दर्ज है जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो वे इंकार हो गये इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :-

(क) वाके ग्राम तिहाड़ा तहसील खेतड़ी स्थित आराजी जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 69 के हाल खसरा नंबर 132 रकबा 0.03 है., ख.नं. 133 रकबा 0.07 है., ख.नं. 134 रकबा 0.03 है., ख.नं. 135 रकबा 0.18 है., ख.नं. 147 रकबा 0.13 है., ख.नं. 148 रकवा 0.12 है., ख.नं. 158 रकबा 0.17 है., ख.नं. 159 रकबा 0.15 है. किता 8 कुल रकबा 0.88 है. भूमि में वादीगण सं. 1 लगा. 12 को 1/4 हिस्से का, वादीगण सं. 13 लगा. 25 को 1/4 हिस्से का, वादीगण सं. 26 लगा. 32 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादीगण सं. 1 ल गा. 13 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

(ख) वाके ग्राम तिहाड़ा तहसील खेतड़ी स्थित आराजी जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 69 के हाल खसरा नंबर 132 रकबा 0.03 है., ख.नं. 133 रकबा 0.07 है., ख.नं. 134 रकबा 0.03 है., ख.नं. 135 रकबा 0.18 है., ख.नं. 147 रकबा 0.13 है., ख.नं. 148 रकवा 0.12 है., ख.नं. 158 रकबा 0.17 है., ख.नं. 159 रकबा 0.15 है. किता 8 कुल रकबा 0.88 है. भूमि में वादीगण सं. 1 लगा. 12 को 1/4 हिस्से का, वादीगण सं. 13 लगा. 25 को 1/4 हिस्से का, वादीगण सं. 26 लगा. 32 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादीगण सं. 1 ल गा. 13 को 1/4 हिस्से का मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 2 व 8 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि उक्त आराजियात प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि है तथा लगान भी प्रतिवादीगण ही अदा करते आ रहे हैं तथा लगान की रसीद प्रतिवादीगण के पास हैं। वादीगण का उक्त आराजियात से कोई सम्बंध व सरोकार नहीं है।

प्रतिवादी सं. 1 को जवाब दावा हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी इनकी ओर से जवाब दावा पेश नहीं किया, अतः जवाब [illegible] प्रतिवादी सं. 1 बन्द किया गया।

प्रतिवादीगण सं. 3 से 7, 9 से 15 बावजूद सम्यक् [illegible] अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता सं. 69 (प्रदर्श–1), नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2), नकल ठिकाना खेतडी बावत बन्दोबस्त संवत् 1998 (प्रदर्श–3), जमाबन्दी संवत् 2012 (प्रदर्श–4), जमाबन्दी संवत् 2017 (प्रदर्श–5), जमाबन्दी संवत् 2021–24 (प्रदर्श–6), संवत् 2029–32 (प्रदर्श–7), संवत् 2033–36 (प्रदर्श–8), संवत् 2059–62 (प्रदर्श–9), संवत् 2063–66 (प्रदर्श–10), संवत् 2067–70 (प्रदर्श–11), संवत् 2047–50 (प्रदर्श–12), संवत् 2051–54 (प्रदर्श–13), संवत् 2055–58 (प्रदर्श–14) पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में बयान जगदीश सिंह (पी.डब्ल्यू.–1), रणवीर सिंह (पी.डब्ल्यू.–2), रामवीर सिंह (पी.डब्ल्यू.–3), राधेश्याम (पी.डब्ल्यू.–4), बालाराम (मालाराम) (पी.डब्ल्यू.–6), नन्दलाल सिंह (पी.डब्ल्यू.–7), भंवरसिंह (पी.डब्ल्यू.–9) कलमबद्ध करवाये।

वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर व उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित विवाद बिन्दु निर्धारित किये गये–

1. आया ग्राम तिहाड़ा तहसील खेतड़ी स्थित आराजी जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 69 के हाल खसरा नंबर क्रमशः 132, 133, 134, 135, 147, 148, 158, 159 कुल किता 8 कुल रकबा 0.88 है. में वादी सं. 1 लगा. 12 हिस्से 1/4, वादी सं. 13 लगा. 25 हिस्से 1/4, वादी सं. 26 लगा. 32 हिस्से 1/4 के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर उक्तानुसार मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार खाता अलहेदा कायम करवाने के अधिकारी हैं?

   –– प्रमाण भार वादीगण

2. आया ग्राम तिहाड़ा तहसील खेतड़ी स्थित आराजी जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 69 के हाल खसरा नंबर क्रमशः 132, 133, 134, 135, 147, 148, 158, 159 कुल किता 8 कुल रकबा 0.88 है. से वादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं हैं?

   –– प्रमाण भार प्रतिवादी सं. 2 व 8

3. दादरसी क्या होगी?

वहस उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। वाद का तनकीवार निर्णय निम्नुसार है–

तनकी सं. 1 –

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण था। वादीगण ने ग्राम तिहाड़ा तहसील खेतड़ी स्थित आराजी जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 69 के हाल खसरा नंवर क्रमशः 132, 133, 134, 135, 147, 148, 158, 159 कुल किता 8 कुल रकबा 0.88 है. में वादी सं. 1 लगा. 12 को 1/4 हिस्से की, वादी सं. 13 लगा. 25 को 1/4 हिस्से की, वादी सं. 26 लगा. 32 को 1/4 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल ठिकाना खे[illegible] बा[illegible] बन्दोबस्त संवत् 1998 (प्रदर्श–3) में ख.नं. 29 रकबा 2 बीघा, ख.नं. 35 रकबा 2 [illegible] विस्वा, ख.नं. 65 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 66 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 69 रकबा 1 [illegible] ख.नं. 77 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख.नं. 262/36 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा अर्थात् 2 बीघा [illegible] 3 विस्वा चाही, 4 बीघा 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

बिस्वा बारानी व 1 बीघा 2 बिस्वा बंजड़ किस्म में रामनाथसिंह वल्द जैलसिंह हि. 1/2 हनुमानसिंह फूलसिंह कानसिंह माधोसिंह पि0 अमीचंद सिंह ब.हि. बराबर हि. 1/2 अकवाम राजपूत सा.देह दर्ज रिकार्ड है जो उक्त जमाबन्दी में लगे नोट बजरिये मि.नं. 30 सं. 97 जागीर व मंजूरी ईनलारा 21.08.42 खाता हाजा से नं. 64 रकबा 10 बिस्वा, 66 रकबा 10 बिस्वा, 69 रकबा 1 बीघा, 77 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल 3 बीघा 3 बिस्वा मुफहिर अली पि0 टेकीम अहमद अली को जागीर में वापिस दे दी। भूमि गत् खसरा नंबर 66 मि., 64 मि., 69 मि., 74 मि. व 77 मि. से हाल खसरा नंबर 132, 133, 134, 135, 147, 148, 158, 159 निर्मित हुए हैं। जमाबन्दी संवत् 2012 (प्रदर्श–4) में खतौनी संख्या (5)6 खसरा नंबर 74 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 64 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा मु.ठि. खेतड़ी की खातेदारी में दर्ज है, खाता सं. 27 खसरा नंबर 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 163/79 कुल किता 14 कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा हकीम मंजूर अली मुजाबर अली पुत्र अहमद अली खेतड़ी मुसलमान दर्ज रिकार्ड है। इसके बाद जमाबन्दी संवत् 2021–24 तक यही स्थिति रही है जो पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–4 लगा. 6 से साबित है। इसके बाद जमाबन्दी संवत् 2029–32 (प्रदर्श–7) खाता सं. 6 ख.नं. 64, 74 किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा राजकीय, खाता सं. 29 खसरा नंबर 65, 66, 69, 77 किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा राजकीय कस्टोडियन ऐवेक्यू प्रोपर्टी हनुमान सिंह पुत्र अमीचन्दसिंह कौम राजपूत सा.देह दर्ज रिकार्ड है। इसके बाद बनी जमाबन्दीयों प्रदर्श–12 व 13 में हाल खसरा नंबर 132, 133, 134, 135, 147, 148, 158, 159 कुल किता 8 रकबा 0.88 हे. कस्टोडियन विभाग हनुमानसिंह पुत्र अमीचन्द सिंह जाति राजपूत सा.देह दर्ज रिकार्ड है तथा हनुमान सिंह के फौत होने पर उनके वारिशान भंवर सिंह बलबीर सिंह नत्थूसिंह रघुविरसिंह महेशदान सिंह पि0 हनुमान सिंह रतन बाई पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत सा.देह दर्ज रिकार्ड हैं (प्रदर्श–9 से 11 व 14)। इस प्रकार भूमि गत् खसरा नंबर 65, 66, 69, 77 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि कस्टोडियन ऐवेक्यू प्रोपर्टी प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 13 के हकपूर्वाधिकारी के नाम रही है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड (प्रदर्श–1) में भी यही स्थिति दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के जरिये जिस ठिकाना खेतड़ी बाबत बन्दोबस्त संवत् 1998 (प्रदर्श–3) के आधार पर वादग्रस्त भूमि में क्लेम किया है वह ठिकाने के समय का दस्तावेज है जिसको अब साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में खसरा गिरदावरियां भी पेश नहीं की है तथा संवत् 1998 के बाद बनी सभी जमाबन्दीयां भी वादीगण के पक्ष में नहीं है।

इस प्रकार तनकी सं. 1 को साबित करने में वादीगण सफल नहीं हुये लिहाजा तनकी सं. 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी सं. 2</u> –

तनकी सं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 2 व 8 पर रखा गया था। चूंकि तनकी सं. 1 के विवेचन से स्पष्ट साबित है कि वादीगण विवादित भूमि ग्राम तिहाड़ा खाता सं. 69 खसरा नंबर 132, 133, 134, 135, 147, 148, 158, 159 कुल किता 8 कुल रकबा 0.88 हे. में अपना कोई हिस्सा [illegible] है। वादग्रस्त भूमि कस्टोडियान विभाग भंवर सिंह बलवीरसिंह नत्थूसिंह [illegible] महेशदानसिह पि0 हनुमानसिंह रतबाई पुत्री हनुमानसिंह [illegible] दर्ज रिकार्ड है (प्रदर्श–1)। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि से [illegible] संबंध सरोकार साबित होना नहीं पाया जाता है। अतः तनकी सं. 2 वादीगण के विरूद्ध [illegible] प्रतिवादी सं. 2 व 8 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

तनकी सं. 3 – अनुतोष?

पक्षकारान को अन्य कोई अनुतोष दिया जाना उचित नहीं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आदेश

अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:55 IST
Reason: SelfAttested